

8

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/वि०चि०पदा०-09/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० अखिलेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, छपरा के द्वारा दिनांक-03.12.2019 से 10.01.2021 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-459(25) दिनांक-02.03.2023 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 236 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-03.12.2019 से 02.04.2020 तक	-	कुल-122 (एक सौ बाईस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-230)
ii.	दिनांक-03.04.2020 से 10.01.2021 तक	-	कुल-283 (दो सौ तिरासी) दिन अराधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा, संहिता के नियम-236)

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-09/2025- 730(2) पटना, दिनांक 9/14/2026
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्क-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, छपरा/अधीक्षक, सदर अस्पताल, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, छपरा/डा० अखिलेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, छपरा को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wamanik Hukab
सरकार के उप सचिव।